



प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

आईडी संख्या : UPFS/2024/110399/CHN/CHANDAULI/825/CFO
दिनांक : 05-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SWARGIYA RAMVILASH SINGH SHIKSHAN SANSTHAN प्लॉट ARAZI NO-57-58-59-60-61-62-63, MAUZA VIJAYPURWA PATTI MAJHILI SIKANDARPUR, CHANDAULI तहसील - CHAKIA प्लॉट एरिया 10321.72 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 5576.76 (वर्ग मीटर), ब्लाको की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/दावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SWARGIYA RAMVILASH SINGH SHIKSHAN SANSTHAN	4	0	13.44 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SWARGIYA RAMVILASH SINGH SHIKSHAN SANSTHAN द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि विचारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 07-03-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SHYAMJI SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-03-2024 से 07-03-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए शिवाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SWARGIYA RAMVILASH SINGH SHIKSHAN SANSTHAN अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र या हवीनीकरण लिप्यंतरित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SWARGIYA RAMVILASH SINGH SHIKSHAN SANSTHAN अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भवन वर्ष 2013 में निर्मित है। 1-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए 2-निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है 3-प्रत्येक 03 मीटर पर मौकडिल कराया जाना अनिवार्य है 4-अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षितकर्मी रखना अनिवार्य है। 5-अग्निशमन व्यवस्था अनुपलब्ध एवं अकार्यशील पाये जाने पर एन0बी0सी0 निरस्त समझी जायेगी। 6-नेशनल बिल्डिंगकोड 2016य शासनादेशसंख्या-18/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016टीसी दिनांक-7जनवरी 2022में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, भूदानों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**KUMAR RAMASHANKAR
TIWARI**

E8AAC1D4A51B53CA9D13F3DD7F4E9B511A9D6FB5

07-03-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 07-03-2024

स्थान : CHANDAULI

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

Principal
Swargiya Ramvilash Singh
Shikshan Sansthan
Chakia-Chandauli